(घ) गत दो वर्षों के दौरान देश में की गई बचतों की कुल धनराशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू बचतों में वर्ष 1992–93 में 140635 करोड़ रुपये से वर्ष 1993–94 में 158493 करोड़ रुपये तक 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब तक किये गये अनेकों आर्थिक सुधार उपायों में शामिल, पूंजीगत बाजार में सुधार, निजी और निगमित कराधानों में कमी, धारा 80 एल के तहत 13,000 रुपये तक बचत प्रोत्साहन की वसूली करना और सावधि जमा राशियों पर उच्चतर सीमा की ब्याज दर में ऊर्ध्वमुखी समायोजन उपायों से बचतों के कुल स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना की जाती है।

निधियों को भेजा जाना

6885. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

श्री आस मोहम्मद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत विदेशों में निधियां भेजे जाने को रोका जा सकता है ; और

(ख) ऐसे नियमों के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वित्तीय संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

6886. श्री ईश दत्त यादव :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वित्तीय संस्थाओं के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे का निर्धारण किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में जारी सरकारी आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी. सी.) के लिये आरक्षण संबंधी संघ सरकार की 8–9–93 की हिदायतों के बाद कतिपय पदों की भर्ती के लिये विज्ञापन दिये थे जिनमें उनके लिये आरक्षण नहीं किया गया था क्योंकि हिदायतें उनके कार्यालय में समय पर प्राप्त नहीं हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 8–9–93 के सरकारी अनुदेशों की शर्तों के अनुरूप, ओबीसी के लिये आरक्षण देते हुये इन रिक्त स्थानों को पुनः विज्ञापित करने को कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओबीसी के लिये आरक्षण देते हुये 23–11–94 को विज्ञापन दिया है। एल आई सी के मामले में 8–9–93 के बाद विज्ञापित सभी रिक्त स्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये कार्पोरेट कार्यालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी कर दिये हैं।